

क्रमांक / स्था.3 / सी-2 / 126 / अं.जि.स्था. / 2012 / 1169

भोपाल, दिनांक 25-6-201

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री संतोष कुमार जैन सहा०शिक्षक	BE 3043	शास प्रा०वि० भीमाखेडी संकुल उत्कृ.उमावि मंहिदपुर उज्जैन	23210600201	इन्दौर
2	श्री हरेन्द्रराज बिल्लौरे, सहा०शिक्षक	AH 7982	शास प्राथमिक विद्यालय हथनी जिला दमोह	23120308101	इन्दौर
3	श्रीमती सलमा सुल्ताना सहा०शिक्षक	AT 9136	शास. कन्या प्राथमिक शाला गढी जिला रायसेन	23340304801	भोपाल
4	श्रीमती सरला रघुवंशी सहा०शिक्षक	AL 7095	शास. प्रा०शा० नंदरवाडा सिवनी मालवा होशंगाबाद	23370702001	भोपाल
5	श्री श्यामनन्द यादव प्र०अ०	BC 4448	शास. पूर्व मा०वि० रामगढ जिला सीधी	23170602802	रीवा
6	श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी सहा०शिक्षक	AR 6593	शास मा०वि० रामपुरकलां जिला मुरैना	23020710706	श्यापुर
7	श्री विकास चन्द्र व्यास, सहा०शिक्षक	AO 3725	शास माध्यमिक शाला रुस्तमपुर जिला खण्डवा	23290810703	इन्दौर
8	श्रीमती क्षमा व्यास, सहा०शिक्षक	AO 4081	शास. प्रा०शा० दोदवाडा छैगांव माखन जिला खण्डवा	23290303301	इन्दौर
9	श्री बलिराम सिंह तौमर प्र०अ०	BC 6067	शास प्रा०वि० बधबुडवा जिला सिंगरौली	23500216001	रीवा
10	श्री एम.आर.जाटव, प्र०अ०	AK 3687	शास. न० मा०वि० कुंदैरा जिला गुना	23070614602	शिवपुरी
11	श्री रमेश चन्द्र मीणा, सहा०शिक्षक	AA 4708	शास मा०शा० नलखेडा जिला भोपाल	23320100201	देवास
12	श्री मोहनसिंह ककोदिया, सहा०शिक्षक	AN 7447	शास प्राथमिक शाला हल्डा जिला कटनी	23380618401	जबलपुर
13	श्री देवाराम गौड, प्र०अ०	AI 4413	शास मा०वि० बरगांय जिला दतिया	23050108403	ग्वालियर

14	डॉ सुमन पाण्डेय, सहायिका	BC3934	शास प्रा० शा० हडबडो सीधी (वर्तमान में बीजीसी सीधी)	2317060BS02	भोपाल
15	श्री एम.एल.माँझी, प्र०अ०	AT 4679	शास मा०शा० औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	23340425001	भोपाल
16	श्री विजय कुमार सिंह, उ०श्रे०शि०	BO 4555	शास महात्मा गाँधी उमावि भेल भोपाल	23320377705	सीधी
17	श्री अब्दुल बासित, सहायिका	AA 7799	शास. गांधी प्रा० शा० हरिजन पुरा कोटरी आष्टा सीहोर	23330108703	भोपाल

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”

(पी.के.मंजुरे)


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 25-6-2012

पृष्ठा क्रमांक/स्था.3/सी-2/126/अं.जि.स्था./2012/1170  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर, सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला-उज्जैन/इंदौर/दमोह/रायसेन/भोपाल/होशंगाबाद/सीधी/रीवा/मुरैना/शयोपुर/खण्डवा/सिंगरौली/गुना/शिवपुरी/देवास/जबलपुर/दतिया/ग्वालियर/सीहोर म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उज्जैन/इंदौर/दमोह/रायसेन/भोपाल/होशंगाबाद/सीधी/रीवा/मुरैना/शयोपुर/खण्डवा/सिंगरौली/गुना/शिवपुर/देवास/जबलपुर/दतिया/ग्वालियर/सीहोर म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उज्जैन/इंदौर/दमोह/रायसेन/भोपाल/होशंगाबाद/सीधी/रीवा/मुरैना/शयोपुर/खण्डवा/सिंगरौली/गुना/शिवपुर/देवास/जबलपुर/दतिया/ग्वालियर/सीहोर म.प्र.।
9. संबंधित गण.....  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
25/6/12  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/128/अं.जि.स्था./2012/117/  
/आदेश/

भोपाल, दिनांक 25-6-2012


शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेन्द्र उपाध्याय प्र०अ०	AN 7137	शास माध्यमिक शाला धरवारा जिला कटनी	23380603601	जबलपुर
2	श्री गिरनाथ सिंह कुशवाह सह०शि०	BG 5609	शास. माध्यमिक शाला टुण्डीला जिला भिण्ड	23030718202	ग्वालियर
3	श्री सिया शरण वर्मा, प्र०अ०	AV 7584	शास. माध्यमिक शाला सलैया कुंडम जिला जबलपुर	23390803302	सतना
4	श्री महेन्द्रसिंह खंगार, सहा०शिक्षक	AZ 7816	शास प्रा०शा० हरनावदा बडौद जिला शाजापुर	23220102901	अशोकनगर
5	श्री किशोर सिंह, सहा०शिक्षक	AT 1847	शास प्राथ०शाला आमा संकुल शाहनगर जिला पन्ना	23100503301	कटनी
6	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, सहा०शिक्षक	AT 4996	शास बालक प्रा०वि० गौहरगंज जिला रायसेन	23340408801	भोपाल
7	श्री किरण सिंह, सहा०शिक्षक	AT 2613	शास प्राथमिक शाला पुरैना जिला पन्ना	23100500801	कटनी
8	श्रीमती स्मिता जैन, सहा०शिक्षक	AH 8346	शास कन्या माध्यमिक शाला पथरिया जिला दमोह	23120200108	सागर
9	श्रीमती मुन्नी देवी छाडी, सहा०शिक्षक	AR 6506	शास. बालक प्राथमिक शाला जिगनी जिला मुरैना	23020317701	गुना
10	श्रीमती चन्द्र कुमारी भार्गव सहा०शिक्षक	BB 6503	शास. कन्या प्राथमिक शाला नौहरीकला शिवपुरी	23060128201	ग्वालियर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मच शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करा जावें।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकी सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी क कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्य से अवगत करावें।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”

  
(पी.के.मंजुरे)

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25-6-2012


पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/128/अं.जि.स्था./2012/1172

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

कृ.पृ.उ.

5. कलेक्टर, जिला- कटनी/जबलपुर/भोपाल/भिण्ड/ग्वालियर/सतना/शाजापुर/अशोक नगर  
/पन्ना/रायसेन/दमोह/सागर/मुरैना/गुना एवं शिवपुरी म0प्र0 ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला कटनी/जबलपुर/भोपाल/भिण्ड/ग्वालियर  
/सतना/शाजापुर/अशोकनगर/पन्ना/रायसेन/दमोह/सागर/मुरैना/गुना एवं शिवपुरी म0प्र0 ।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- कटनी/जबलपुर/भोपाल/भिण्ड/ग्वालियर/सतना/शाजापुर  
/अशोक नगर/पन्ना/रायसेन/दमोह/सागर/मुरैना/गुना एवं शिवपुरी म0प्र0 ।
9. संबंधित गण.....  
की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
25/8/12  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/130/अं.जि.स्था./2012/1173

भोपाल, दिनांक 25-6-2012

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नूतन के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक् आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री अवधेश कुमार वर्मा सहा० शिक्षक	AW 3276	शास प्राथमिक शाला चकर गोहान जिला सतना	23130403501	कटनी
2	श्री अरुण कुमार शर्मा सहा० शिक्षक	BE 8935	शास. माध्यमिक शाला पेढी जिला विदिशा	23310722533	भोपाल

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।

कृ.पु.उ.

- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं कि जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें ए कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह क समयवाधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

(पी.के.मंजुरे)

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25-6-2012

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/130/अं.जि.स्था./2012/1174

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला- सतना/कटनी/विदिशा एवं भोपाल म0प्र0।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला सतना/कटनी/विदिशा एवं भोपाल म0प्र0।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग रीवा/जबलपुर एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सतना/कटनी/विदिशा एवं भोपाल म0प्र0।
9. संबंधित गण.....  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश






संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी व कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्य से अवगत करायें।

- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

  
 25-6-12  
 (पी.के.मंजुरे)  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/129/अं.जि.स्था./2012/1176  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25-6-2012

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला-सीहोर/सीधी/रीवा/दमोह/भोपाल/उज्जैन/खण्डवा/खरगौन/ गुना/सागर एवं इंदौर म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला सीहोर/सीधी/रीवा/दमोह/भोपाल/उज्जैन/खण्डवा/खरगौन/ गुना/सागर एवं इंदौर म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सीहोर/सीधी/रीवा/दमोह/भोपाल/उज्जैन/ खण्डवा /खरगौन/ गुना/सागर एवं इंदौर म.प्र.।
9. संबंधित गण.....  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
 25-6-12  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

